न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी : सुश्री श्वेता कोचर आर0ए0एस0

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	दायरा तिथि	निर्णय तिथि
32/2018	धारा 212 RTA	20.09.2018	01.07.2019

1. विजयसिंह
2. शेरसिंह
3. नानूसिंह
4. मोहरसिंह

पुत्रगण स्व. बचनसिंह जाति राजपूत निवासीगण गांव इन्द्रपुरा तहसील चूरू

5. भंवरसिंह
6. मदनसिंह
7. करणीसिंह
8. सुरेन्द्रसिंह
9. प्रेमसिंह

पुत्रगण स्व. फूलसिंह जाति राजपूत निवासीगण गांव इन्द्रपुरा तहसील चूरू

10. उम्मेदसिंह पुत्र स्व. सायरसिंह जाति राजपूत निवासी इन्द्रपुरा तहसील व जिला चूरू

—प्रार्थी—

बनाम

1. देवा पुत्र अर्जुन जाति मेघवाल निवासीगण गांव इन्द्रपुरा तहसील व जिला चूरू
2. श्रीमती केशर पुत्री
3. श्रीमती दाखां पुत्री
4. फूलाराम पुत्र

नन्दराम जाति मेघवाल निवासीगण गांव इन्द्रपुरा तहसील व जिला चूरू

—असल अप्रार्थीगण—

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू
6. श्रीमान् उप पंजीयक (मुद्रांक) चूरू

—गौण अप्रार्थीगण—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थित:— 1. अधिवक्ता श्री आनन्द बालाण प्रार्थीगण

आदेश

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 151 दी.प्र.सं. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपरोक्त अनवान का दावा न्यायालय में पेश किया जा चुका है जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण सम्भावना है। यह कि प्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के पिता स्व. बचनसिंह वा उनके काका स्व. रावतसिंह दोनों एक ही परिवार के सदस्य थे वा एक साथ ही रहते थे। स्व. रावतसिंह शादीशुदा नहीं थे वा लाऔलाद ही कुंवारा फौत हो गये। स्व. बचनसिंह का वंशवृक्ष निम्न अनुसार है:—

स्व. बचनसिंह

विजयसिंह (पुत्र)	शेरसिंह (पुत्र)	नानूसिंह (पुत्र)	मोहरसिंह (पुत्र)
प्रार्थी सं. 1	प्रार्थी सं. 2	प्रार्थी सं. 3	प्रार्थी सं. 4

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

यह कि स्व. जगमालसिंह वा स्व. फूलसिंह दोनों सगे भाई थे व एक साथ ही संयुक्त परिवार में रहकर कृषि भूमि काश्त करते थे। स्व. जगमालसिंह शादीशुदा नहीं थे वा कुंवारे ही फौत हो गये एवं उनके एकमात्र वारिस उनका सगा भाई स्व. फूलसिंह ही थे। स्व. फूलसिंह की वंशावली निम्न अनुसार है:-

स्व. फूलसिंह

भंवरसिंह (पुत्र)	मदनसिंह (पुत्र)	करणीसिंह (पुत्र)	सुरेन्द्रसिंह (पुत्र)	प्रेमसिंह (पुत्र)	सायरसिंह (पुत्र)
प्रार्थी सं. 5	प्रार्थी सं. 6	प्रार्थी सं. 7	प्रार्थी सं. 8	प्रार्थी सं. 9	(फौत)

उम्मेदसिंह (पुत्र)	श्रीमती सन्तोषकंवर (पत्नी)
प्रार्थी सं. 10	प्रार्थी सं. 11

यह कि प्रार्थीगण सं. 1 ता 4 के पिता स्व. बचनसिंह वा स्व. रावतसिंह संयुक्त रूप से कृषि भूमि गत खसरा सं. 2 तादादी 19 बीघा 18 विश्वा वा गत खसरा नं. 17 मीन तादादी 7 बीघा 8 विश्वा वा खसरा नं. 17 मीन तादादी 7 बीघा 10 विश्वा वा खसरा नं. 21 मीन तादादी 2 विश्वा वाके रोही ग्राम इन्द्रपुरा तहसील चूरू जिसके हाल ख.नं. 2, 35 वा 45 तादादी क्रमशः 19 बीघा 18 विश्वा (5.0332 हैक्टेयर) वा 7 बीघा 8 विश्वा (1.8717 हैक्टेयर) वा तादादी 7 बीघा 12 विश्वा (1.9223 हैक्टेयर) वाके रोही इन्द्रपुरा तहसील चूरू को सम्वत् 2010 से काश्त करते रहे हैं जिसे वर्तमान में प्रार्थीगण अपने पूर्वजों के समय से लगातार काश्त करते आ रहे हैं लेकिन राजस्व कर्मचारियों की गलती से इस कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 वा उनके पूर्वजों के नाम गलत दर्ज कर दिया गया जबकि उन्होंने इस कृषि भूमि को सम्वत् 2001 के बाद कभी काश्त नहीं किया अर्थात् अप्रार्थीगण के पूर्व देवा पुत्र अर्जुन वा नन्दा पुत्र कुशला आदि ने भी इस कृषि भूमि को कभी काश्त नहीं किया। अप्रार्थीगण वा उनके पूर्वजों के नाम गलत खातेदारी का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया गया है जो गलत बनाया गया राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने काबिल है वा इस कृषि भूमि के वास्तविक खातेदार, काश्तकार कानूनन प्रार्थीगण सं. 1 ता 4 हैं।

यह कि स्व. जगमालसिंह वा स्व. फूलसिंह दोनों शामिल शरीक रहकर कृषि भूमि खसरा सं. 4 मीन तादादी 18 बीघा 1 विश्वा वाके रोही ग्राम इन्द्रपुरा तहसील चूरू को सम्वत् 2010 के पहले से ही लगातार काश्त करते थे जिसके हाल खसरा सं. 10 तादादी 18 बीघा 1 विश्वा (4.5656 हैक्टेयर) हैं। इस कृषि भूमि को प्रार्थीगण सं. 5 ता 11 अपने पूर्वज स्व. फूलसिंह के जीवनकाल से लगातार सम्वत् 2010 के पहले से काश्त करते आ रहे हैं। इस प्रकार सम्वत् 2012 में भी इस कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार स्व. फूलसिंह वा स्व: जगमालसिंह पुत्रगण स्व. भींवजी ही थे लेकिन राजस्व कर्मचारियों की गलती से बिना कब्जा काश्त के इस कृषि भूमि की गलत खातेदारी का रिकार्ड अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 के पूर्वज स्व. देवा पुत्र अर्जुन वा नन्दा पुत्र कुशला के नाम दर्ज कर दिया गया जिस गलत रिकार्ड के आधार पर अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 के

उपखण्ड अधिकारी

नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में खातेदारी दर्ज हो गई जो गलत राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने काबिल है वा इस कृषि भूमि के वास्तविक खातेदार, काश्तकार प्रार्थीगण सं. 5 से 11 हैं। यह कि कृषि भूमि वर्तमान खसरा सं. 2 तादादी 19 बीघा 18 बिश्वा वा खसरा सं. 35 तादादी 7 बीघा 8 बिश्वा वा खसरा नं. 45 तादादी 7 बीघा 12 बिश्वा वाके रोही ग्राम इन्द्रपुरा तहसील चूरू को प्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 ऊपर वर्णित अनुसार अपने पूर्वजों के समय से सम्वत् 2010 के पहले से लगातार काश्त करते आ रहे हैं वा राजस्व लगान अदा करते आ रहे हैं इसलिए प्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 ही इस कृषि भूमि के वास्तविक खातेदार, काश्तकार हैं लेकिन अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 अपने नाम गलत बने राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर इस कृषि भूमि को दीगर लोगों को विक्रय, रहन, दान आदि से हस्तान्तरित करने पर आमदा हैं वा जबरन लाठियों के बल पर प्रार्थीगण को इस कृषि भूमि से बेदखल करने की धमंकियां दे रहे हैं इसलिए प्रार्थीगण के लिए यह आवश्यक हो गया है कि प्रार्थीगण अपने अधिकारों की सुरक्षा न्यायालय के माध्यम से करावें वा अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 के नाम बने खातेदारों के गलत राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करवा कर अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 के खिलाफ चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करें। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में हैं। सुविधा सन्तुलन एवं अपूर्तिय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष में है क्योंकि दौराने सुनवाई दावा यदि अप्रार्थीगण कृषि भूमि को दीगर लोगों को किसी प्रकार से हस्तान्तरित कर देते हैं या वादीगण को जबरन बेदखल कर देते हैं तो प्रार्थीगण को अपूर्तिय क्षति वा घोर असुविधा होगी जिसकी क्षतिपूर्ति रूपयों में नहीं की जा सकती है।

यह कि कृषि भूमि वर्तमान खसरा सं. 10 तादादी 18 बीघा 1 विश्वा वाके रोही ग्राम इन्द्रपुरा तहसील चूरू का प्रार्थीगण सं 5 ता 11 ऊपर वर्णित अनुसार अपने पूर्वजों के समय से सम्वत् 2010 के पहले से लगातार काश्त करते आ रहे है वा राजस्व लगान अदा करते आ रहे हैं इसलिए प्रार्थीगण सं 5 ता 11 ही इस कृषि भूमि के वास्तविक खातेदार, काश्तकार है लेकिन अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 अपने नाम गलत बने राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर इस कृषि भूमि को दीगर लोगों को विक्रय, रहन, दान हस्तान्तरित करने पर आमादा हैं वा जबरन लाठियों के बल पर पर प्रार्थीगण को इस कृषि भूमि से बेदखल करने की धमकियां दे रहे हैं इसलिए प्रार्थीगण के लिए यह आवश्यक हो गया हैं कि प्रार्थीगण अपने अधिकारों की सुरक्षा न्यायालय के माध्यम से करावें वा अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 के नाम बने खातेदारों के गलत राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करवा कर अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 के खिलाफ चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करें। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है। सुविधा सन्तुलन एवं अपूर्तिय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष में है क्योंकि दौराने सुनवाई दावा यदि अप्रार्थीगण कृषि भूमि को दीगर लोगों को किसी प्रकार से हस्तान्तरित कर देते हैं वा वादीगण को जबरन बेदखल कर देते हैं तो प्रार्थीगण को अपूर्तिय क्षति वा घोर असुविधा होगी जिसकी क्षतिपूर्ति रूपयों में नहीं की जा सकती है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 के खिलाफ ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी फरमाई जावे कि कृषि भूमि खसरा संख्या 10, 2, 35, 45 तादादी कमशः 18 बीघा 1 विश्वा (4.5656 हैक्टेयर), 19 बीघा 18 विश्वा (5.0332 हैक्टेयर), 7 बीघा 8

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

विश्वा (1.8717 हैक्टेयर) व तादादी 7 बीघा 12 विश्वा (1.9223 हैक्टेयर) अप्रार्थीगण किसी दीगर व्यक्ति को विक्रय, रहन, दान आदि किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करें, ना प्रार्थीगण को जबरन बेदखल करें, ना प्रार्थीगण के कब्जा वा काश्त में किसी प्रकार की बाधा डालें, ना कृषि भूमि को किसी भी प्रकार से खुर्द बुर्द वा क्षतिग्रस्त करें।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थीगण के सम्मन अदम तामील प्राप्त हुए जिन पर अंकित आया कि इन नामों के व्यक्ति 60–70 वर्षों से इन्द्रपुरा में नहीं रहते। वकील प्रार्थीगण के निवेदन पर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये अखबार करवाने के आदेश दिये जाकर अखबारी सम्मन जारी किया गया। वकील प्रार्थीगण ने सूची के संलग्न तलबी अखबार दैनिक राष्ट्रदूत दिनांक 20.03.2019 की प्रति पेश की जो शामिल मिसल की गई। उक्त अखबार से समस्त अप्रार्थीगण पर तामील होने के बावजूद भी उपस्थित नहीं आये जिस पर अप्रार्थी सं. 1 से 4 को न्यायालय समय में बार–बार आवाजें लगाई गई परन्तु बिना कोई उचित कारण के अनुपस्थित रहने पर अप्रार्थी सं. 1 से 4 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि वादगत कृषि भूमि सम्वत् 2010 से पूर्व से ही प्रार्थीगण के पूर्वजों एवं प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की रही है मगर राजस्व कर्मचारियों की गलती से यह भूमि अप्रार्थी सं. 1 से 4 के नाम खातेदारी में चली आ रही है। उक्त वादगत कृषि भूमि पर सम्वत् 2010 से लेकर आज तक प्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है जिसकी खातेदारी की घोषणा का दावा न्यायालय में जेरकार है। दौराने सुनवाई दावा अप्रार्थीगण अपनी गलत दर्ज खातेदारी का फायदा उठाकर किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय, दान, रहन आदि करवा सकते हैं तथा प्रार्थीगण को जबरन बेदखल कर सकते हैं। उपरोक्त वादगत कृषि भूमि में निरन्तर कब्जा काश्त प्रार्थीगण का होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बखूबी सिद्ध है। यदि दौराने दावा अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय, दान या रहन कर दी जाती है तथा प्रार्थीगण को जबरन बेदखल कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्तिय क्षति व घोर असुविधा होगी जिससे सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तिय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी सं. 1 सा 4 के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला दावा जारी की जावे।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण बहस सुनी जाकर पत्रावली पर पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया गया। छाया प्रति जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 ग्राम इन्द्रपुरा के ख.नं. 10, 2, 35, 45 तादादी क्रमशः 4.5653, 5.0332, 1.8717, 1.9223 कुल तादादी 13.3925 हैक्टेयर में वर्तमान में अप्रार्थी सं. 1 से 4 खातेदार दर्ज हैं। प्रार्थीगण जाति से राजपूत हैं जो सवर्ण जाति के अन्तर्गत आते हैं तथा अप्रार्थीगण जाति से मेघवाल हैं जो अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आती है। छाया प्रति निर्णय दिनांक 31.03.81 मु.नं. 2/78 अनुवानी राजस्थान सरकार बनाम देवा आदि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू के अवलोकन से जाहिर

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

होता है कि राजस्थान सरकार की ओर से पेश उक्त दावा में इस प्रार्थना पत्र के अप्रार्थी सं. 1 व अप्रार्थी सं. 2 से 4 के पिता नन्दा प्रतिवादी सं. 1 व 2 रहे हैं तथा प्रार्थीगण के पूर्वज बचनसिंह व फूलसिंह प्रतिवादी सं. 3 व 4 रहे हैं। उक्त दावा में पेश जवाब में प्रतिवादी सं. 1 व 2 वादगत कृषि भूमि पर प्रतिवादी सं. 3 व 4 का ही कब्जा काश्त होना व लगान भी प्रतिवादी सं. 3 व 4 द्वारा चुकाया जाना अंकित है। दावा में सम्वत् 2009 से 2011 व 2015 तक कब्जा काश्त व खातेदारी प्रतिवादी सं. 1 व 2 (अप्रार्थी सं. 1 व अप्रार्थी सं. 2 से 4 के पिता नन्दा) की होना अंकित है। उक्त दावा की नकल पूर्ण नहीं होने से यह जाहिर नहीं होता कि अन्तिम निर्णय क्या हुआ। छाया प्रति खसरा गिरदावरी ख.नं. 2 व 4 सम्वत् 2010 से 2015 तक में खातेदारी व काश्त देवा के पिता अर्जुन व नन्दिया पि. कुशला के नाम अंकित है। सम्वत् 2016 में ख.नं. 2 काश्त बचनसिंह के नाम अंकित है तथा ख.नं. 4 में सम्वत् 2016 में खातेदारी व काश्त अर्जुन व नन्दा की तथा सम्वत् 2017 में काश्त जगमालसिंह पुत्र भींवजी की अंकित है। उक्त अभिलेख के अलावा सम्वत् 2017 के बाद का अभिलेख पेश नहीं किया गया है। प्रार्थीगण ने अपने दावा में उपरोक्त वादगत कृषि भूमि की खातेदारी पुरानी कब्जा काश्त के आधार पर अपने नाम से घोषित करवा कर खातेदारी में से अप्रार्थीगण का नाम हटाया जाकर अपने नाम दर्ज करवाने का अनुतोष चाहा है तथा दौराने दावा वादगत कृषि भूमि के मौका एवं रिकार्ड में कोई परिवर्तन ना हो जिसके लिए यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया है जिससे उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है।

पत्रावली एवं पेश दस्तावेजात के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 10, 2, 35, 45 तादादी कमशः 4.5653, 5.0332, 1.8717, 1.9223 कुल तादादी 13.3925 हैक्टेयर रोही ग्राम इन्द्रपुरा अप्रार्थी सं. 1 से 4 की संयुक्त खातेदारी की पैतृक कृषि भूमि है जिस पर सम्वत् 2010 से पूर्व से आज तक निरन्तर कब्जा काश्त प्रार्थीगण का बताते हुए खातेदारी घोषित करवा कर प्रार्थीगण अपने नाम दर्ज करवाना चाहते हैं। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण सवर्ण जाति के व्यक्ति हैं तथा अप्रार्थी सं. 1 से 4 अनुसूचित जाति सदस्य हैं। इसलिए अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की खातेदारी भूमि पर रिकार्डेड खातेदारों के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही चलने योग्य प्रतीत नहीं होता है। हालांकि अप्रार्थीगण जरिये अखबार नोटिस दिये जाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं आये हैं तथा पिछले 60–70 वर्षों से ग्राम इन्द्रपुरा में इन नामों के व्यक्तियों के नहीं रहने की रिपोर्ट प्रथम सम्मनों पर आई है परन्तु जमाबन्दी में दर्ज विरासतन नामान्तरकरण संख्या 473 दिनांक 20.02.2018 से जाहिर होता है कि अप्रार्थीगण आज भी मौजूद हैं क्योंकि उक्त नामान्तरकरण अप्रार्थीगण द्वारा ही दर्ज करवाया गया प्रतीत होता है। वादगत कृषि भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष का नहीं होकर अप्रार्थी सं. 1 से 4 के पक्ष में साबित होता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अप्रार्थीगण अनुसूचित जाति के सदस्य हैं तथा प्रार्थीगण सवर्ण जाति के सदस्य हैं। इसलिए अनुसूचित जाति के सदस्यों की खातेदारी भूमि पर मात्र कुछ वर्षों की कब्जा काश्त के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने से अप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ने एवं कमजोर वर्ग के अप्रार्थीगण को अपूर्तिय क्षति होने की सम्भावना भी प्रतीत होती है। इस सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के प्रावधान जो कि अनुसूचित जाति व

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों के खातेदारी अधिकारों एवं उनकी कृषि भूमियों की रक्षा हेतु बनाये गये हैं, भी महत्वपूर्ण हैं। इसलिए उक्त विधिक प्रावधानों की रोशनी में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की खातेदारी भूमि पर रिकार्डेड खातेदारों के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना यह न्यायालय न्यायोचित नहीं मानता। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तिय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

आदेश

अतः प्रथम दृष्टया, मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तिय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. एवं सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 01.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

(श्वेता कांवर)
उपखण्ड अधिकारी,
सूरू